2009:CGHC:6285

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 5264/2008

याचिकाकर्ता बैसाखूराम साहू, और अन्य.

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य, एवं अन्य.

-

और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) संख्या 7045/2008

याचिकाकर्ता श्रीमती सवाना बाई सेन

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

11 अगस्त, 2009 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूची बद्ध करे।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

10.08.2009

2009:CGHC:6285

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 5264/2008

याचिकाकर्ता 1 बैसाखूराम साहू, पिता स्वर्गीय केजूराम साहू, उम्र लगभग 43 वर्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, निवासी बेमेतरा, तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

2 शत्रुघ्न निषाद, पिता गयाराम निषाद, उम्र 47 वर्ष, पार्षद, नगर पालिका परिषद बेमेतरा तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादी 1 छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर द्वारा ।

2 कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

3 श्रीमती सावना बाई, पति रामजी, उम्र लगभग 46 वर्ष, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, निवासी वार्ड क्रमांक 3, कचेरीपारा, तहसील बेमेतरा, जिला। दुर्ग (छत्तीसगढ़) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

उपस्थित : श्री संजय एस. अग्रवाल, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री अमृतो दास, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

श्री संजय के. अग्रवाल, उत्तरवादीसंख्या 3 के अधिवक्ता।

और

रिट याचिका (सिविल) संख्या 7045/2008

याचिकाकर्ता श्रीमती सावना बाई सेन, पति श्री रामजी, आयु लगभग 46 वर्ष, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.), निवासी वार्ड क्रमांक 3, कचहरीपारा, तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादी

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.) द्वारा ।
2. कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.)
3. राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा ।
4. नगर पालिका परिषद,बेमेतरा द्वारा, मुख्य नगर पालिका परिषद, नगर पालिका अधिकारी द्वारा ।
5. नारायण छाबड़ा, पार्षद, वार्ड क्रमांक 3, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
6. शत्रुघ्न लाल निषाद, पार्षद, वार्ड क्रमांक 5, मोहनभट्टा (बेमेतरा), नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
7. दीपक तिवारी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 4, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
8. श्रीमती हेमलता वर्मा, पार्षद, वार्ड क्रमांक 8, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, कौड़िया, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
9. -घनश्याम साहू, पार्षद, वार्ड क्रमांक 10, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
10. रामप्यारी साहू, पार्षद, वार्ड क्रमांक 6, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
11. मनोज शर्मा, पार्षद, वार्ड क्रमांक 9, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
12. फणेन्द्र मिश्रा, पार्षद, वार्ड क्रमांक 16, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
13. बैशाखू राम साहू, पार्षद, राजीव नगर, वार्ड क्रमांक 14, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
14. सुमन दास गोस्वामी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 13, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
15. सुकवारो बाई, पार्षद, वार्ड क्रमांक 15। नगर पालिका परिषद, बेमेतरा। जिला दुर्ग (छ.ग.)।
16. श्रीमती कमला साहू, पार्षद, वार्ड क्रमांक 11, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
17. पूर्णिमा, पार्षद, वार्ड क्रमांक 12, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. महेश लहरे, पार्षद। वार्ड क्रमांक 01, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

19. अशोक शर्मा, पार्षद, वार्ड क्रमांक 17, नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित: श्री संजय के. अग्रवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अमृतो दास, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

श्री बी.डी. गुरु, उत्तरवादीसंख्या 3 के अधिवक्ता।

श्री ए.एस. कच्छवाहा, उत्तरवादीसंख्या 4 के अधिवक्ता।

श्री संजय एस. अग्रवाल, उत्तरवादीसंख्या 5 से 19 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(11 अगस्त, 2009 को पारित)

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. रिट याचिका (सिविल) संख्या 5264/2008 और 7045/2008 में वाद हेतुक समान है, अतः दोनों याचिकाओं पर विचार किया जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा उनका निराकरण किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता, जो नगर पालिका परिषद, बेमेतरा के उपाध्यक्ष और पार्षद हैं, रिट याचिका (सिविल) संख्या 5264/2008 के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 1 को निर्देश देने का अनुरोध करते हैं कि वह कलेक्टर दुर्ग द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2008 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/3) के माध्यम से प्रस्तुत वापसी प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजें।

2009:CGHC:6285

4. रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7045/2008 में याचिकाकर्ता, जो नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष हैं, ने 2 जून, 2008 की अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की है और 27 अक्टूबर, 2008 (अनुलग्नक-पी/1) और 4 जुलाई, 2008 (अनुलग्नक-पी1/क) के ज्ञापनों को भी रद्द करने की प्रार्थना की है।

5. संक्षेप में, दोनों रिट याचिकाओं के निर्णय के लिए तथ्य यह है कि नगर पालिका परिषद बेमेतरा के 15 पार्षदों ने दिनांक 2 जून, 2008 {अनुलग्नक (पी/1) से रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5264/2008} कलेक्टर, दुर्ग को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही हैं और नगर पालिका परिषद को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा रही हैं। उचित सत्यापन के बाद, कलेक्टर ने 4 जुलाई, 2008 के ज्ञापन (अनुलग्नक-पी/2) द्वारा मामले को राज्य सरकार को भेज दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, राज्य सरकार इस मामले को राज्य चुनाव आयोग को भेजने के लिए बाध्य है, हालाँकि, राज्य चुनाव आयोग को भेजने के बजाय, राज्य सरकार ने मामले को कलेक्टर, दुर्ग को भेज दिया। कलेक्टर, दुर्ग ने 2 जून, 2008 के आवेदन में सभी 15 पार्षदों के हस्ताक्षरों का सत्यापन और सिद्ध करने के बाद, 25 अगस्त, 2008 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/3) द्वारा राज्य सरकार को वही प्रस्ताव दोहराया। इसके बाद, राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य चुनाव आयोग को नहीं भेजा है। इस प्रकार यह याचिका रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5264/2008 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता को 19 दिसंबर, 2004 को नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2 जून, 2008 को उत्तरवादीक्रमांक 5 से 19 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद कलेक्टर ने 4 जुलाई 2008 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी 1 / ए) द्वारा मामले को कलेक्टर को भेज दिया, जिसमें कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव सत्यापित किया गया है। इसके बाद, 3 पार्षदों; कमला साहू, हेमलता वर्मा और पूर्णिमा साहू ने राज्य सरकार के समक्ष शपथ पत्र के साथ एक आवेदन दायर किया और अविश्वास प्रस्ताव पर असहमति जताई। राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन दिनांक 25 सितंबर, 2008 द्वारा कलेक्टर के माध्यम से तीन पार्षदों द्वारा किए

गए आवेदन के संबंध में जांच की। कलेक्टर ने ज्ञापन दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 (अनुलग्नक पी / याचिकाकर्ता के अनुसार, बिना किसी अधिकार और अधिकार क्षेत्र के, कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव का मामला राज्य सरकार को कार्रवाई हेतु भेज दिया है। इस प्रकार, यह याचिका रिट याचिका (सिविल) संख्या 7045/2008 है।

7. श्री संजय एस. अग्रवाल, जो रिट याचिका (सिविल) संख्या 5264/2008 में याचिकाकर्ता और रिट याचिका (सिविल) संख्या 7045/2008 में उत्तरवादी संख्या 5 से 19 के लिए उपस्थित हुए, विद्वान अधिवक्ता थे, ने तर्क प्रस्तुत किया कि निस्संदेह, अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नगर पालिका विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999 (संक्षेप में "अधिनियम, 1999) अधिनियम संख्या 11/1999 द्वारा 23 अप्रैल, 1999 से विधि से हटा दिया गया है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5264/2008 में 2 जून, 2008 को (अनुलग्नक पी/1) 15 पार्षदों के हस्ताक्षरों के साथ कलेक्टर के समक्ष सी.जी. नगर पालिका अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1961') की धारा 47 के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष श्रीमती सावना बाई सेन को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दिया। कलेक्टर ने 4 जुलाई, 2008 के पत्र द्वारा प्रस्ताव को सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार ने इसे राज्य चुनाव आयोग को भेजने के बजाय मामले को पुनर्विचार के लिए कलेक्टर को वापस भेज दिया। कलेक्टर ने 25 अगस्त, 2008 के ज्ञापन द्वारा फिर से 15 पार्षदों के प्रस्ताव को दोहराया और संकेत दिया कि 15 पार्षदों द्वारा किए गए हस्ताक्षर उचित रूप से प्रमाणित पाए गए हैं। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो अधिनियम, 1961 की धारा 47(2) के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार, राज्य सरकार को अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए अध्यक्ष को वापस बुलाने के प्रस्ताव को राज्य चुनाव आयोग को भेजने के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री संजय एस. अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि राज्य को हस्ताक्षरों के सत्यापन हेतु मामले को विप्रेषित करने या किसी भी विधिक प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष को वापस बुलाने के पार्षदों के प्रस्ताव को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार की यह कार्रवाई अत्यधिक और मनमानी है, जिसका उद्देश्य नगर परिषद, बेमेतरा के अध्यक्ष को बचाना है।

9. इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल अध्यक्ष की ओर से जो (रिट याचिका (सिविल) सांख्य 7045/2008 में याचिकाकर्ता है और रिट याचिका (सिविल) संख्या 5264/2008 में उत्तरवादी सांख्य 3 है उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत किया है कि अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान विधि से हटा दिया गया है और इसे अध्यक्ष को वापस बुलाने के प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार, पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, रिट याचिका (सिविल) संख्या 7045/2008 में निजी प्रतिवादियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने का प्रस्ताव अवैध है।

10. अधिनियम, 1961 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्ताव को रोकने की राज्य सरकार की क्षमता के प्रश्न पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि पार्षदों द्वारा किए गए हस्ताक्षरों का उचित सत्यापन नहीं किया गया है और इस प्रकार, मामला 15 पार्षदों के हस्ताक्षरों के सत्यापन हेतु कलेक्टर को वापस भेज दिया गया था। इसके बाद भी, हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद, कलेक्टर ने 25 अगस्त, 2008 को यही बात दोहराई, प्रस्ताव की वास्तविकता पर विचार करना और उसके बाद उसे आयोग को अग्रेषित करना राज्य का कार्य है। अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (2) और (3) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य को अपना विवेकाधिकार प्रयोग करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अमृतो दास राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क के समर्थन में अपना तर्क प्रस्तुत किया है ।

12. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है, तथा उनके तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

13. 2 जून, 2008 के आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रीमती सवाना बाई सेन द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के कारण नगर परिषद को हुए नुकसान के आधार पर अधिनियम, 1961 की धारा 47(2) के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कदम उठाए जा सकते हैं। आवेदन में एक पंक्ति यह दर्शाती है कि पार्षदों ने नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सवाना बाई सेन में अविश्वास व्यक्त किया है। अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिनियम, 1961 की धारा 47(2) के प्रावधानों के अंतर्गत कदम उठाए जा सकते हैं।

कलेक्टर ने 4 जुलाई, 2008 के पत्र (अनुलग्नक पी/2 10 रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5264/2008) द्वारा अपने पत्र में अध्यक्ष को वापस बुलाने का प्रस्ताव सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अधिनियम, 1961 की धारा 47(2) के प्रावधानों के अंतर्गत भेजा था। विधि के प्रावधानों के विपरीत, मामला कलेक्टर को वापस भेज दिया गया। कलेक्टर ने 25 अगस्त, 2008 के बाद के पत्र (अनुलग्नक पी/3 टू रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5264/2008) में उसी प्रस्ताव को दोहराया और कहा कि उन्होंने अध्यक्ष सहित 19 पार्षदों में से 15 पार्षदों के हस्ताक्षर सत्यापित कर लिए हैं, जो अधिनियम, 1961 की धारा 47(1) के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कुल निर्वाचित पार्षदों की संख्या के 3/4" से अधिक है। इसके बाद, राज्य सरकार ने कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली।

14. 23 अप्रैल, 1999 से पहले, धारा 47 में नगर परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान था।1999 के अधिनियम संख्या 11 द्वारा, मूल धारा 47 के स्थान पर "अध्यक्ष को वापस बुलाना" शब्द प्रतिस्थापित किया गया था। यहाँ उक्त प्रावधान को उद्धृत करना उपयोगी होगा, जो 11 अप्रैल, 1999 से लागू हुआ था। 23 अप्रैल, 1999। यह इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“47. अध्यक्ष को वापस बुलाना। (1) किसी परिषद के प्रत्येक अध्यक्ष को तुरंत अपना पद त्याग दिया गया माना जाएगा यदि उसे नगरपालिका क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या के आधे से अधिक के बहुमत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गुप्त मतदान के माध्यम से वापस बुलाया जाता है:

परंतु यह कि वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न किए जाएं और कलेक्टर को प्रस्तुत न किया जाए:

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि ऐसी कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाएगी।

I. ऐसे अध्यक्ष के निर्वाचित होने और अपना पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर।

II. यदि उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल की आधी अवधि समाप्त नहीं हुई है; यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया उसके पूरे कार्यकाल में एक बार आरंभ की जाएगी।

(2) कलेक्टर, स्वयं संतुष्ट होने और यह सत्यापित करने के बाद कि निर्दिष्ट पार्षदों में से तीन-चौथाई उपधारा (1) में, यदि किसी राज्य सरकार के पास वापस बुलाने का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो वह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को संदर्भ भेजेगी।

(3) संदर्भ प्राप्त होने पर, राज्य निर्वाचन आयोग वापस बुलाने के प्रस्ताव पर ऐसी रीति से मतदान की व्यवस्था करेगा, जैसी विहित की जाए।

{1999 के संसद अधिनियम संख्या 11 द्वारा प्रतिस्थापित (23.4.1999)}"

15. (1999 के संसद अधिनियम संख्या 11 द्वारा प्रतिस्थापित (23.4.1999)) प्रावधान के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1961 की धारा 47(1) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के कुल मतदाताओं के आधे से अधिक के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से अध्यक्ष को वापस बुलाने की बात करती है। धारा 47(1) के प्रावधान में कहा गया है कि जब तक निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के तीन-चौथाई सदस्य द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है और कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। वर्तमान मामले में, अध्यक्ष सहित 19 पार्षदों में से 15 पार्षदों ने 2 जून, 2008 को कलेक्टर, दुर्ग को एक आवेदन दिया (अनुलग्नक पी/1 टू रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 5264/2008)। कलेक्टर ने स्वयं को सत्यापित और संतुष्ट करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को संदर्भ देने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार ने मामले को नए सिरे से सत्यापन और अनुमोदन के लिए वापस भेज दिया। पुनः 25 अगस्त, 2008 को हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद कलेक्टर ने अधिनियम, 1961 की धारा 47(2) के प्रावधानों के अंतर्गत इसे दोहराया। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के पास अध्यक्ष को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और उसे रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कलेक्टर स्वयं संतुष्ट होने और यह सत्यापित करने के बाद कि वापस बुलाने के प्रस्ताव के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीन-चौथाई पार्षद मौजूद हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग को एक संदर्भ भेजेगी। उपधारा (3) में प्रावधान है कि संदर्भ प्राप्त होने पर राज्य चुनाव आयोग वापस बुलाने के प्रस्ताव पर निर्धारित तरीके से मतदान की व्यवस्था करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अधिनियम, 1961 की धारा 47 के प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। इसकी कोई अन्य व्याख्या स्वीकार्य नहीं है। विधि की व्याख्या का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अधिनियम का प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध है और इससे कोई असंगति या असंगत स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो शाब्दिक व्याख्या का सहारा लिया जाना चाहिए।

17. **जुगलकिशोर सराफ बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड**[1] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"6..... विधियों की व्याख्या का मुख्य नियम यह है कि विधियों को शब्दशः पढ़ा जाए, अर्थात विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों को उनका सामान्य, स्वाभाविक और व्याकरणिक अर्थ दिया जाए। यदि ऐसा पढ़ने से असंगति उत्पन्न होती है और शब्दों का कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, तो न्यायालय वही अर्थ अपना सकता है। परंतु यदि ऐसा कोई वैकल्पिक व्याख्या संभव नहीं है, तो न्यायालय को शाब्दिक व्याख्या का सामान्य नियम अपनाना होगा। वर्तमान मामले में नियम की शाब्दिक व्याख्या से कोई स्पष्ट असंगति उत्पन्न नहीं होती है और इसलिए व्याख्या के उस स्वर्णिम नियम से विचलित होने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **पद्मा सुंदर राव (मृत) एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य**[2] मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

12. विधियों के पुनर्लेखन और कैसस ओमिसस के संबंध में प्रतिद्वंदी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी भी स्पष्ट और असंदिग्ध वैधानिक प्रावधान में कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता। एक विधि विधायिका का एक आदेश होता है। किसी विधि में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का निर्धारक कारक होती है। व्याख्या का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का आशय स्वयं विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में ही निहित होना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या अभिप्रेत है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। न्यायाधीश लर्न्ड हैंड ने कहा, "क़ानूनों की व्याख्या यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि शब्दों की व्याख्या उनके पीछे छिपे उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ की जानी चाहिए।

[1] ए.आई.आर 1955 एस.सी 376

[2] (2002) 3 एस.सी.सी. 533

(**लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम येन्सावेज देखें।**) इसी दृष्टिकोण को **भारत संघ बनाम फिलिप टियागो डी गामा ऑफ़ वेडेम वास्को डी गामा** मामले में दोहराया गया था।

19. **हरभजन सिंह बनाम भारतीय प्रेस परिषद एवं अन्य**[3] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी

> "7..... विधायिका अपने शब्दों का अपव्यय नहीं करती। किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय प्रयुक्त शब्दों को सामान्य व्याकरणिक और पूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए। नियम का सम्मान करने के लिए, विधायिका अपने आशय को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करती है, और इसलिए, प्रयुक्त शब्दों द्वारा व्यक्त आशय के अनुरूप ही उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, बशर्ते कि इससे कोई असंगति या विसंगति उत्पन्न न हो या जब तक कि नियम से विचलन की अनुमति देने के लिए कोई आंतरिक या बाह्य सामग्री उपलब्ध न हो। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **कुलदीप नायर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[4] मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> 201....हम निर्णय के उपर्युक्त अनुच्छेद में व्यक्त दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और उसे दोहराते हैं। संवैधानिक प्रावधानों की व्यापक और उदार व्याख्या करना वांछनीय हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय "स्पष्ट अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या के नियम को, जो "प्राथमिक नियम" बना हुआ है, भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में, "शाब्दिक व्याख्या" का नियम ही सुरक्षित नियम है, जब तक कि प्रयुक्त भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट या वास्तव में बेतुके परिणामों की ओर न ले जाए।"

21. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भावनगर बनाम सौराष्ट्र केमिकल लिमिटेड**[5] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

---

[3] (2002) 3 एस.सी.सी. 722

[4] (2006) 7 एस.सी.सी. 1

[5] (2007) 10 एस.सी.सी 352

"13. एक लाभकारी विधि पर उदारतापूर्वक विचार किया जा सकता है, लेकिन जहाँ कोई विधि एक से अधिक व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करता, वहाँ शाब्दिक व्याख्या का सहारा लिया जाना चाहिए।

22. उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि तीन-चौथाई पार्षदों के हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद, कलेक्टर ने 25 अगस्त, 2008 को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था और राज्य सरकार को इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वापस बुलाने के प्रस्ताव पर मतदान की व्यवस्था करेगा।

23. **भारती सोनकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मएवं अन्य**[6] के मामले में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"11. मामले की उपर्युक्त व्यापक विशेषताओं पर समग्र रूप से विचार करने पर, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 26.03.2007 के ज्ञापन में "वापस लेने के प्रस्ताव" के स्थान पर "अविश्वास प्रस्ताव" के रूप में प्रस्ताव का उल्लेख मात्र से, यह नहीं माना जा सकता कि कलेक्टर, दुर्ग द्वारा अधिनियम की धारा 47(2) में निहित अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए, हमें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रथम निवेदन में कोई सार नहीं मिलता है और यह अस्वीकार किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम महेंद्र कुमार सराफ एवं अन्य**[7], जिस पर श्री संजय एस. अग्रवाल ने भरोसा किया था, में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"13. प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले पार्षदों की कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति विधायी आवश्यकता है या नहीं, यह अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) के परंतुक की सही व्याख्या और व्याख्या पर निर्भर करता है, जिसे इस आदेश के पूर्वार्ध में पुनः

[6] 2008 (3) सी.जी.एल.जे 115 (डीबी)
[7] 2005 (3) एम.पी.एल.जे 578

उद्धृत किया गया है। यदि हम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और प्रस्तुतिकरण से संबंधित दो पहलुओं को अलग-अलग करके देखें, तो यह निम्नलिखित रूप में दिखाई देता है:-

I. निर्वाचित पार्षदों के कुल सदस्यों के कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित; और

II. कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत।

यदि परंतुक के अंतिम भाग में प्रयुक्त "और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत" वाक्यांश, "हस्ताक्षरित" शब्द के ठीक बाद रखा गया होता, तो इस परंतुक का स्वरूप इस प्रकार होता:-

> "परंतु यह कि प्रस्ताव को वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों के कुल सदस्यों के कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर (और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत) न कर दिए जाएँ।"

25. ऊपर बताए गए कारणों से, अधिनियम, 1961 की धारा 47 स्पष्ट और असंदिग्ध है, इसलिए राज्य सरकार को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को वापस बुलाने के प्रस्ताव को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का अधिकार है। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार कलेक्टर, दुर्ग द्वारा 25 अगस्त, 2008 को भेजे गए नगर पालिका परिषद, बेमेतरा के अध्यक्ष को वापस बुलाने के प्रस्ताव को तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. रिट याचिका (सिविल) संख्या 5264/2008 स्वीकार की जाती है। उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका (सिविल) संख्या 7045/2008 का 'निराकरण' किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur